न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या : 01/2026
सी.आई.एस. नंबर : 01/2026

01. आशा देवी पुत्री घनश्याम पत्नी प्रदीप गुप्ता उम्र 45 साल निवासी राजगढ, जिला अलवर हाल निवासी भूमचारी मौहल्ला, अलवर (राज.)
02. रजनी पुत्री बजरंग लाल पत्नी श्री श्यालाल उम्र 40 साल निवासी राजगढ, जिला अलवर (राज.) **..... उज्रदारान**

ब ना म

01. महेश चंद गुप्ता पुत्र रामस्वरूप उम्र 59 साल निवासी राजगढ जिला अलवर हाल निवासी कारोठ तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज.)

.....डिक्रीदार

"उज्रदारी प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 व 99 दीवानी प्रक्रिया संहिता"

उपस्थित :–

01. विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनलाल जैमन, उज्रदारान की ओर से।
02. विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर, डिक्रीदार की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांकः 18 मई, 2026**

01. उज्रदारान आशा देवी व अन्य की ओर से यह उज्रदारी प्रार्थना पत्र विरूद्ध डिक्रीदार इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ''डिक्रीदार ने उज्रदारान के पिताओ स्व. बजरंग लाल व घनश्याम के साथ एक विक्रय अनुबंध वास्ते आराजीयात खसरा नंबरान 832 रकबा 0.12 हैक्टेयर व खसरा नंबर 893 रकबा 0.01 वाके ग्राम कारोठ जो उज्रदारान और मूलचंद पुत्र गोकुल चंद में विरासत में मिली थी। उक्त खसरा नंबरान 832 व 833 में उज्रदारान का क्रमशः 1/6 व 1/8 हिस्सा है। उज्रदारान के दादा मूलचन्द के स्वर्गवास के उपरान्त उनके पिताओं बजरंगलाल व घनश्याम ने उनके साथ छल करते हुए उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को अपने नाम ही कागजात माल में अंकित करा लिया और उसके उपरान्त उक्त नम्बरान में से एक भूखण्ड दिनांक 10–7–2006 को डिक्रीदार महेश चन्द को विक्रय अनुबन्ध पत्र के जरिये एक लाख रूपये में विक्रय कर दिया। जब स्व. घनश्याम और बजरंगलाल ने उक्त भूखण्ड का विक्रय–पत्र महेश चन्द अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित नहीं करवाया तो उसने तकमील मुहायदे का एक वाद

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजगढ में पेश किया और क्रेता महेश चन्द में डिक्री प्राप्त कर ली, जिसका इजराय का प्रार्थना पत्र वर्तमान में न्यायालय वादी की प्रथम पक्ष में विचाराधीन है, जिसमे तारीख पेशी 15—12—2025 नियत है। उज्रदारान को उक्त डिक्री का पता चला तो उन्होंने एक वाद उक्त डिक्री व निर्णय दिनांक 11—7—2019 को निरस्त किये जाने के लिए न्यायालय श्रीमान में पेश किया, जिसमें आगामी तारीख पेशी 10—2—2026 नियत है और उक्त वाद साक्ष्य वादी में नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विक्रेता को विक्रय किए जाने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी तथ्यों को उजागर करेगा और क्रेता सावधान के सिद्धान्त के अनुसार क्रेता सम्पति से सम्बंधित सभी अच्छाई और बुराईयों की जाँच करेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि विक्रेता और क्रेता को बखूबी ज्ञान था कि विक्रय की गई सम्पति विक्रेतागण की स्तंजीत सम्पति नहीं है अपितु पूर्वजों से प्राप्त सम्पति है इसलिए परिवार के अन्य सदस्य भी उक्त सम्पति के सहदायी है, जिनकी स्वीकृति के बिना उक्त सम्पति का विक्रय नहीं हो सकता है। परन्तु क्रेता और विक्रेता ने मुकदमो बअनुवानी महेश चन्द बनाम बजरंग लाल व घनश्याम मुकदमा नम्बर 34/14/2014 में यह तथ्य न्यायालय के समक्ष उजागर नहीं किया कि प्रतिवादीगण के अतिरिक्त और भी सहदाई खसरा नम्बर 832 रकबा 0.12 हैक्टेयर के हिस्सेदार है और न ही क्रेता/वादी ने उक्त तथ्य जाहिर किया। इस प्रकार उन्होंने न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जो न्यायालय के साथ छल की तारीख में आता है और क्रेता व विक्रेताओं ने डिस्डी दिनांक 11—7—2019 छल और मिसरिप्रजेन्टेशन के द्वारा प्राप्त की है, जिसे निरस्त किये जाने के लिए वाद व अनुवानी आशा बैरागा बनाम महेश चन्द वगैरा विचाराधीन है। दावा आशा देवी बनाम महेश वगैरा मुकदमा नंबर 9/2009 के साथ उज्रदारान/वादीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय श्रीमान के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र सुनने के उपरान्त जबावी आदेश सुना दिया था कि इजराय का प्रार्थना पत्र का प्रवल्न रोका जाता है परन्तु उक्त आदेश पता नहीं किस कारण लिखिया नहीं। उक्त आदेश के सम्बन्ध में आदेशिका में भी अंकन नहीं किया गया तथा उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र आज भी पत्रावली में शामिल है इसलिए उक्त उज्रदारी वास्ते रोके जाने निस्पादन डिस्डी श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। डिस्डी के निष्पादान पर रोक नहीं है। इसका सर्वप्रथम ज्ञान उज्रदारान को व उनके वकुलाय को सर्वप्रथम दिनांक 25—11—2025 को हुआ है इसलिए उक्त उज्रदारी ज्ञान की तिथि से अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष बिना देरी पेश है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि छल के द्वारा प्राप्त की गई डिस्डी को चैलेन्ज किये जाने के लिए कोई मियाद नहीं है फिर भी कोई कानूनी अडचन पैदा न हो इसलिए ज्ञान की तिथि से उक्त उज्रदारी श्रीमान के समक्ष पेश है।

02. प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया गया है कि उज्रदारान मृतक मूलचन्द पुत्र गोकल चन्द की पौत्री है और उनका संयुक्त हिन्दू परिवार है तथा खसरा नम्बर 832 वाके ग्राम कारोठ उनके पूर्वजों से विरासत में मिलती आई है। कहने का

अभिप्राय है कि उक्त कृषि भूमि के वादीगण/उज्रदारान तथा तरतीबी प्रतिवादीगण सहदाई है जिनकी स्वीकृति बिना घनश्याम व बजरंगलाल को अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही उक्त सम्पति उन्होंने किसी ऐन्टीसीडेन्ट ऋण की अदायगी के लिए और न ही उक्त एस्टेट की वैभूती के लिए विक्रय की है। इसलिए निस्पदान को ताफैसला वाद बअनुवानी आशा देवी वगैरा बनाम महेश वगैरा मुकदमा नंबर 9/2019 स्थापित किया जाना आवश्यक है क्योंकि उक्त वाद में अभी पक्षकारान के अधिकार तय होना शेष है। उपरोक्त वर्णित वादपत्र के निस्तारण से पूर्व ही डिक्रीदार/अप्राथी महेश चन्द अविलम्ब डिस्डी की पालना कराकर विकृय पत्र अपने पक्ष में तस्दीक करने पर आमादा है और उसने निस्पादन प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश कर रखा है। यदि उक्त डिस्डी का निस्पादन हम वादिनी/उज्रदारान के वाद के निस्तारण से पूर्व हो जाता है तो उनका दावा करना बेसूद हो जाएगा और उन्हें अतुलनीय क्षति होगी तथा बहुवादिता भी बढेगी। इसलिए उक्त निष्पादन की कार्यवाही को इसी स्तर पर रोका जाना आवश्यक है। घनश्याम व बजरंगलाल द्वारा विक्रय अनुबन्ध पत्र दिनांक 10.07.2006 केवल 100/—रूपये के स्टाम्प पर निस्पादित किया गया है और उसमें विक्रय की गई सम्पति का विक्रय मूल्य एक लाख रूपये अंकित है। विधि अनुसार उक्त विक्रय अनुबन्ध पत्र पर विक्रय मूल्य के 3 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी लगनी चाहिए थी परन्तु न तो पक्षगण ने इस विधिक प्रावधान पर ध्यान दिया, न ही न्यायालय को ध्यान दिलाया। जबकि उक्त विक्रय अनुबन्ध पत्र स्टाम्प डयूटी के अभाव में साक्ष्य में ग्रहण योग्य ही नहीं था इसलिए भी उक्त डिक्री काबिल कायमी नहीं है और काबिल खारिज है। उज्रदारान का प्रथम दृष्टया केस है और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इजराय प्रार्थना पत्र व बअनुवानी महेश चंद बनाम बजरंगलाल व अन्य को ताफैसला वाद मुकदमा नंबर 9/2009 स्थापित किए जाने और डिक्री व निर्णय दिनांक 11.07.2019 को वादनीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से तक निरस्त फरमाने व अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे, प्रदान किये जाने का निवेदन किया।''

03. डिक्रीदार की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुए इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ''मौजूदा उज्रदारी प्रार्थना पत्र डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन व तुष्टी के संबंध में है और मोजूदा आपत्ति डिक्री के पक्षकार व उनके प्रतिनिधियों के मध्य है इसलिए जिस कानूनी प्रावधान में मोजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उक्त प्रावधान के तहत उज्रदारी में उठाई गई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है इसलिए मौजूदा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उज्रदारी प्रार्थना पत्र आदेश 21 के नियम 97 व 99 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत किया गया है किन्तु प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया है कि उनका प्रार्थना पत्र मूलतः नियम 97 के तहत आता है, या नियम 99 के तहत आता है, या संयुक्त रूप से दोनों प्रावधानों में किस प्रकार आता है, स्पष्ट तथ्य उज्रदारी प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं है जबकि दोनों ही प्रावधानों की मंशा अलग—अलग है।

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

ऐसी स्थिति में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में उज्रदारी प्रार्थना—पत्र पाषणीय नहीं है। आदेश 21 नियम 97 का प्रावधान केवल डिक्री धारक को व डिक्री के निष्पादन में विक्रय की गई सम्पत्ति के क्रेता को कब्जा अभिप्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध/बाधा डालने पर आवेदन करने का प्रावधान करती है जबकि मौजूदा उज्रदार न तो डिक्रीदार है, ना ही डिक्री के निष्पादन में विक्रय की गई सम्पत्ती के क्रेता है। ऐसी स्थिति में मोजूदा प्रार्थना पत्र उक्त प्रावधान की मंशा के अनुरूप नहीं होने से पोषणीय नहीं है। आदेश 21 नियम 99 का प्रावधान केवल निर्णीत ऋणी से भिन्न किसी तीसरे व्यक्ति को डिक्री धारक या डिक्री के निष्पादन में विक्रय की गई सम्पत्ति के क्रेता द्वारा सम्पत्ति से बेकब्जा कर देने के पश्चात्, वह तीसरा व्यक्ति न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान करती है जबकि मौजूदा उज्रदारी में आवेदक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि है, जिनके द्वारा उक्त प्रावधान की मंशा के विपरीत मौजूदा आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। दीवानी वाद बअनुवान महेश बनाम बजरंगलाल, मुकदमा नंबर 34/14/2014 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 11.07.2019 के विरूद्ध मौजूदा उज्रदारान के पिताओं क्रमशः बजरंगलाल व घनश्याम द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष प्रथम अपील बअनुवान बजरंग बनाम महेश चन्द **S.B. Civil First Appeal No. 916/2019** प्रस्तुत की थी, जो अपील दिनांक 17.05.2024 को अबेट होने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दी गई। चूंकि उक्त मूल प्रकरण के अबेट हो जाने पर कानूनन विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अंतिम हो गई और जिन पक्षकारान के विरूद्ध अपील अबेट हो चुकी है। उक्त डिक्री/निर्णय से उक्त डिक्री के पक्षकारान निर्णित ऋणी व उनके विधिक उत्तराधिकारी भी पाबंद है और ऐसी सूरत में उसी प्रकरण को पुनः उठाने का निर्णित ऋणी के उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है इसलिए मौजूदा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उज्रदारान द्वारा उज्रदारी में डिक्री में वर्णित जायदाद के संबंध में आपत्ति इस आधार पर दर्ज कराई है कि डिक्री में वर्णित जायदाद उनके दादा मूलचन्द की जायदाद थी, जिसमें सहदायिकी सदस्य होने के कारण उनका जन्म से हक व अधिकार था इसलिए उनके पिता घनश्याम व बजरंगलाल को उक्त जायदाद को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। किन्तु इस संबंध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के पश्चात् निर्वसीयती स्वर्गवासी पिता से कोई सम्पत्ति उसके पुत्र/पुत्रियों को विरासत में प्राप्त होती है। वह सम्पत्ति उन पुत्र/पुत्रियों को व्यक्तिवार प्राप्त होती है, न कि शाखावार। ऐसी सुरत में पुत्र/पुत्रियों को मिली सम्पत्ति उनकी निजि/स्वअर्जित सम्पत्ति होती है इसलिए निर्णित ऋणी घनश्याम व बजरंगलाल को अपने पिता से मिली सम्पत्ति उनके निजि व स्वअर्जित सम्पत्ति थी। ऐसी स्थिति में विकल्प में उज्रदारान की उक्त उज्रदारी के मुताबिक उनको कोई अधिकार डिक्रीत जायदाद में प्राप्त नहीं होते है। चूंकि निर्णित ऋणी घनश्याम व बजरंगलाल को अपने पिता के निर्वसीयत स्वर्गवासी होने के पश्चात् अर्थात् हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

1956 के लागू होने के पश्चात् विरासत में प्राप्त हुई है, जिस तथ्य की पुष्टि उज्रदारान द्वारा उज्रदारी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित जमाबंदी सम्वत् 2069—2072 से होती है। ऐसी स्थिति में उज्रदारान के पिता व निर्णित ऋणी घनश्याम व बजरंगलाल को अपनी निजि/स्वअर्जित सम्पत्ति को किसी भी प्रकार अन्तरण करने का पूर्ण हक व अधिकार कानूनन प्राप्त था। ऐसी सूरत में भी मौजूदा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

04. जवाब प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया गया है कि यह सही है कि अप्रार्थी/डिक्रीदार द्वारा उज्रदारान के पिताओं बजरंगलाल व घनश्याम के साथ उक्त चरण में वर्णित आराजी का विक्रय अनुबंध पत्र किया था। चूंकि तथाकथित विक्रीत भूमि के विक्रेता घनश्याम व बजरंगलाल की खातेदारी में दर्ज थी, जिसकी जमाबंदी व राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् ही मिन अप्रार्थीगण/डिक्रिदार द्वारा उक्त आराजी को क्रय किया था, ऐसी सूरत में अप्रार्थी/क्रेता एकदम सावधान था और बाबजूद सावधानी के आराजी क्रय की गई थी। जब उक्त आराजी के रिकोर्ड में कोई हिस्सेदार नहीं था तो फिर मुकदमा महेशचन्द बनाम घनश्याम मुकदमा नंबर 34/14/2014 में किसी तीसरे पक्ष के तथ्य दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं था। तथाकथित इकरारनामा 11.07.2019 व उसके आधार पर पारित डिक्री विधिनुसार है। किसी भी प्रकार का छल व मिसरिप्रजन्टेशन नहीं किया गया था। रहा प्रश्न उज्रदारान द्वारा प्रस्तुत वाद विचाराधीन अवश्य है किन्तु उक्त वाद में उठाये गये आधार पर उज्रदारान को विवादित सम्पत्ति में कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं होते है। क्योंकि प्रथम तो जब मूलवाद महेश बनाम घनश्याम की जानकारी उज्रदारान को दौराने वाद रही थी तो भी उनके द्वारा उक्त मुकदमे में बतौर पक्षकार बनकर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। द्वित्तीय मूलवाद में पारित डिक्री की प्रथम अपील अबेट हो गई है। उज्रदारान प्रथम अपील के अपीलान्ट व निष्पादन योग्य डिक्री के निर्णित ऋणी के वारिसान है, जिन्हें उज्रदारी पेश करने का किसी भी प्रकार का अब अधिकार नहीं है। तृतीय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात् पिता से विरासत में प्राप्त सम्पत्ति प्राप्तकर्ता पुत्र/पुत्रियों को व्यक्तिवार प्राप्त होती है, न कि शाखावार अर्थात् निजि हैसियत में प्राप्त होती है इसलिए निजि/स्वअर्जित सम्पत्ति का अंतरण करने का उनको पूर्ण अधिकार था। उज्रदारान द्वारा उठाई गई आपत्ति खिलाफ कानून होने से सारहीन व इजराय में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से पेश की है। निष्पादनीय जायदाद घनश्याम व बजरंगलाल को अपने पिता से विरासत में निजी तौर पर प्राप्त हुई थी और ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी निजी सम्पत्ति को मनमाफिक उपयोग—उपभोग करने एवं अन्तरण करने का पूर्ण हक व अधिकार था, जिस जायदाद में उज्रदारान का उनके जीवनकाल में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में जब उज्रदारान का कोई हक व अधिकार नहीं था तो उनकी स्वीकृति नहीं लेने का कोई विपरीत प्रभाव कानूनन नहीं है। विधिनुसार निष्पादन न्यायालय डिक्री के औचित्य या अनऔचित्य को या डिक्री कि विधि मान्यता के

संबंध में किसी भी आपत्ति पर विचारण करने के लिए नहीं बल्कि डिक्री के निष्पादन की प्रक्रिया को प्रोसीड करता है लेकिन उक्त चरण में दर्ज तथ्य उज्रदारान के आचरण के संबंध में अवश्य न्यायालय को विचारणीय प्रश्न खड़ा कर देते है कि वो डिक्री के पारित करने पर प्रश्न उठाकर डिक्री के निष्पादन को रूकवाने के प्रयास में है। प्रार्थीगण/उज्रदारान किसी भी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है बल्कि प्रार्थना पत्र महज निष्पादन कार्यवाही में अडचन डालने के आशय से होने के कारण प्रथम दृष्टया ही काबिल खारिज है। अतः जवाब उज्रदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उज्रदारी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।''

05. उज्रदारी प्रार्थना पत्र के संबंध में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

06. उज्रदारान के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्यतः अपने उज्रदारी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया गया है कि उनका प्रार्थना पत्र विधि अनुसार विवादग्रस्त सम्पति में उज्रदारान का हित व अधिकार निहित होने के कारण पोषणीय है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित खसरा नंबरान 832 व 833 में उज्रदारान का क्रमशः 1/6 व 1/8 हिस्सा है। उनका यह भी तर्क है कि उज्रदारान को उक्त डिक्री का पता चला तो उन्होंने एक वाद उक्त डिक्री व निर्णय दिनांक 11—7—2019 को निरस्त किये जाने के लिए न्यायालय श्रीमान में पेश किया, जिसमें आगामी तारीख पेशी 10—2—2026 नियत है और उक्त वाद साक्ष्य वादी में नियत है। उनका यह भी तर्क है कि डिक्री दिनांकित 11.07.2019 के निष्पादन कार्यवाही का ज्ञान उज्रदारान को व उनके वकुलाय को सर्वप्रथम दिनांक 25—11—2025 को हुआ है इसलिए उक्त उज्रदारी ज्ञान की तिथि से अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष बिना देरी पेश है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने इजराय प्रार्थना पत्र व बअनुवानी महेश चंद बनाम बजरंगलाल व अन्य को ताफैसला वाद मुकदमा नंबर 9/2009 स्थापित किए जाने और डिक्री व निर्णय दिनांक 11.07.2019 को वादनीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से तक निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गएः—

(1) **2022(3) Civil Court Cases 087 (Allahabad), Seth Daryablal Manik Lal Tadaiya & Anr. Vs. Siddh Gopal Kudariya & Anr., Matter Under Article 227 No. 837/2022 decided on 28-03-2022.**

(2) **2018(4) RLW 3403 (SC), Shyam Narayan Prasad Vs. Krishna Prasad & Ors., Civil Appeal No. 5415 of 2011 decided on 02-07-2018.**

(3) **2014(3) Civil Court Cases 758 (P&H), Suresh & Anr. Vs. Fateh Singh & Ors., Regular Second Appeal No. 3561 of 1986 (O&M) and Cross Objection No. 9-c of 1987 decided on 05-12-2013.**

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

(4) **2024(4) Civil Court Cases 684 (SC), Renjith K.G. & Ors. Vs. Sheeba, Civil Appeal No. 8315-8316 of 2014 decided on 14-10-2024.**

07. डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त तर्कों का घोर विरोध करते हुए जवाब उज्रदारी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्यतः तर्क दिया गया है कि हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र उज्रदारान द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 97 व 99 के तहत प्रस्तुत किया गया है लेकिन अपने प्रार्थना पत्र में उज्रदारान द्वारा स्पष्ट प्रावधान अंकित नहीं किया गया है कि उनका प्रार्थना पत्र उपरोक्त दोनों प्रावधानों में किस प्रावधान के तहत है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री दिनांकित 11.07.2019 के विरूद्ध उज्रदारान के पितागण क्रमशः बजरंगलाल व घनश्याम द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय में की गई प्रथम अपील नंबर 916/2019 दिनांकित 17.05.2024 को अबेट होने के आधार पर खारिज कर दी गई है इसलिए उक्त डिक्री दिनांकित 11.07.2019 अंतिम हो चुकी है, जिससे उज्रदारान भी पाबंद है। ऐसी स्थिति में उज्रदारान द्वारा हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र के माध्यम से डिक्री दिनांकित 11.07.2019 को पुनः चुनौती नहीं दी जा सकती। उनका यह भी तर्क है कि विवादित सम्पति के विक्रेता बजरंगलाल व घनश्याम की निजी व स्वअर्जित सम्पति ही उनके द्वारा बेचान की गई है, जिसमें उज्रदारान का कोई हित निहित नहीं है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने उज्रदारी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

08. उभयपक्षकारान के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

09. हस्तगत प्रकरण में उज्रदारान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र उज्रदारी में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं तथा विद्वान अधिवक्ता डिक्रीदार/अप्रार्थी की ओर से उज्रदारी प्रार्थना पत्र के विरोध में जो तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, उनके संबंध में सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रकट होता है कि प्रार्थीयागण आशा देवी पुत्री घनश्याम व रजनी पुत्री बजरंग लाल द्वारा उनके पिता क्रमशः घनश्याम व बजरंगलाल द्वारा अप्रार्थी/डिक्रीदार महेश चंद के पक्ष में किए गए विवादित आराजी खसरा नंबर 382 व 383 के बेचान इकरारनामा दिनांकित 10.07.2006 के संबंध में अप्रार्थी/डिक्रीदार द्वारा जो कि उक्त इकरारनामा का क्रेता था, द्वारा प्रस्तुत विनिर्दिष्ट अनुपालना के दावे में पारित डिक्री दिनांकित 11.07.2019 की निष्पादन कार्यवाही के दौरान हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में उज्रदारान द्वारा यह प्रकट किया गया है कि विक्रय इकरारनामा दिनांकित 10.07.2006 की विनिर्दिष्ट अनुपालना के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांकित 11.07.2019 को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने जाने एवं अपने हिस्से का कब्जा प्राप्त करने व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उज्रदारान द्वारा पृथक से

दीवानी दावा संस्थित किया जा चुका है। उक्त विवादग्रस्त सम्पति जिसके संबंध में डिक्री पारित की गई है, उसमें उज्रदारान का विक्रेता के परिवार के सहदायिक सदस्य होने के कारण हित व अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत डिक्री के मदयूनगण अर्थात् घनश्याम व बजरंगलाल को प्रश्नगत सम्पति में निहित उज्रदारान के हित व अधिकार की सीमा तक सम्पति बेचान का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए हस्तगत निष्पादन कार्यवाही उज्रदारान द्वारा डिक्री दिनांकित 11.07.2019 के संबंध में शून्य घोषित कराये जाने हेतु संस्थित दावे के निस्तारण से पूर्व चलने योग्य नहीं है।

10. इस संबंध में अप्रार्थी/डिक्रीदार का सर्वप्रथम तर्क यह है कि हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र उज्रदारान द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 97 व 99 के तहत प्रस्तुत किया गया है लेकिन अपने प्रार्थना पत्र में उज्रदारान द्वारा स्पष्ट प्रावधान अंकित नहीं किया गया है कि उनका प्रार्थना पत्र उपरोक्त दोनों प्रावधानों में किस प्रावधान के तहत है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। जबकि इस संबंध में उज्रदारान की ओर से दौराने बहस यह तर्क लिया गया है कि उनका प्रार्थना पत्र विधि अनुसार विवादग्रस्त सम्पति में उज्रदारान का हित व अधिकार निहित होने के कारण पोषणीय है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत न्यायिक दृष्टान्त **ब्रहमदेव चौधरी बनाम ऋषिकेश प्रसाद जैसवाल, (1997) 3 एससीसी 694** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''किसी उज्रदार द्वारा भी आदेश 21 नियम 97 सीपीसी के तहत अपनी उज्रदारी प्रस्तुत की जा सकती है।'' उक्त संदर्भित न्यायिक दृष्टान्त में स्पष्ट रूप से यह विहित किया गया है कि यदि किसी तीसरे पक्षकार द्वारा किसी डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही के दौरान कोई आपत्ति प्रकट की जाती है तो निष्पादन न्यायालय उक्त आपत्तियों का निस्तारण आदेश 21 नियम 97 से 101 सीपीसी के तहत कर सकता है। इस न्यायालय के विनम्र मत में उपरोक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार किसी तीसरे पक्षकार द्वारा डिक्री निष्पादन कार्यवाही में अपनी आपत्ति आदेश 21 नियम 97 सीपीसी के तहत लाई जा सकती है।

इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता उज्रदारान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **2022(3) Civil Court Cases 087 (Allahabad), Seth Daryablal Manik Lal Tadaiya & Anr. Vs. Siddh Gopal Kudariya & Anr., Matter Under Article 227 No. 837/2022 decided on 28-03-2022** में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 21 नियम 97 सीपीसी में प्रयुक्त शब्दांशः "Any Person" बहुत विस्तृत है, जिसमें किसी डिक्री से बाध्य ना होने वाला वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो विवादित सम्पति में अपना अधिकार क्लेम करता है, चाहे वह कोई अजनबी ही क्यों ना हो। इस प्रकार उपरोक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार हस्तगत प्रकरण में उज्रदारान विवादग्रस्त सम्पति को पैतृक बताते हुए अपने जन्म से ही उक्त सम्पति में अपना अधिकार व हित निहित होना कथन करते हैं, जिस तथ्य के आधार पर उज्रदारान द्वारा

हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना दर्शित होता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता डिक्रीदार की ओर से लिया गया यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि उज्रदारान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में केवल मात्र विशिष्ट विधिक प्रावधान अंकित नहीं किए जाने के आधार पर उज्रदारी प्रार्थना पत्र सिरे से खारिज किये जाने योग्य हो। ऐसी स्थिति में उज्रदारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुसार चलने योग्य पाया जाता है।

11. इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता डिक्रीदार की ओर से हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र के संबंध में एक तर्क यह लिया गया है कि न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री दिनांकित 11.07.2019 के विरूद्ध उज्रदारान के पितागण क्रमशः बजरंगलाल व घनश्याम द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय में की गई प्रथम अपील नंबर 916/2019 दिनांकित 17.05.2024 को अबेट होने के आधार पर खारिज कर दी गई है इसलिए उक्त डिक्री दिनांकित 11.07.2019 अंतिम हो चुकी है, जिससे उज्रदारान भी पाबंद है। ऐसी स्थिति में उज्रदारान द्वारा हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र के माध्यम से डिक्री दिनांकित 11.07.2019 को पुनः चुनौती नहीं दी जा सकती।

इस संबंध में इस न्यायालय का यह विनम्र मत है कि यद्यपि उज्रदारान द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रथम अपील संख्या 916/2019 का दिनांक 17.05.2024 को अबेट हो जाने के तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है लेकिन जहां तक हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र का संबंध है तो उज्रदारान द्वारा डिक्री दिनांकित 11.07.2019 को गलत तरीक से प्राप्त किये जाने के संबंध में उक्त डिक्री को शून्य घोषित कराये जाने हेतु पृथक से दीवानी दावा वर्ष 2019 से ही न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है तथा जैसाकि पूर्व में विवेचन किया जा चुका है कि हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र डिक्री दिनांकित 11.07.2019 की निष्पादन कार्यवाही के दौरान विवादग्रस्त सम्पति के बेचानकर्ता की पुत्रियों द्वारा अपने हित व अधिकार के संबंध में प्रस्तुत की गई है, जिसकी पोषणीयता के संबंध में पूर्व में विवेचन किया जा चुका है इसलिए विद्वान अधिवक्ता डिक्रीदार की ओर से लिया गया यह तर्क कि डिक्री दिनांकित 11.07.2019 के अंतिम हो जाने के आधार पर उज्रदारान अपनी उज्रदारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते है, माने जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

12. इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता डिक्रीदार की ओर से हस्तगत उज्रदारी के संबंध में एक तर्क यह भी लिया गया है कि विवादित सम्पति के विक्रेता बजरंगलाल व घनश्याम की निजी व स्वअर्जित सम्पति ही उनके द्वारा बेचान की गई है, जिसमें उज्रदारान का कोई हित निहित नहीं है।

इस संबंध में इस न्यायालय का यह विनम्र मत है कि उज्रदारान द्वारा हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नंबर 382 व 383 के संबंध में यह अभिवचन अंकित किए गए हैं कि उक्त विवादित सम्पति सर्वप्रथम मूलचंद को उनके पिता गोकुल से विरासत में मिली तथा मूलचंद से उनके दोनों पुत्र बजरंगलाल व घनश्याम को विरासतन प्राप्त हुई, जिसका कोई विभाजन आज

दिनांक तक नहीं हुआ है और उक्त विरासतन सम्पति जो कि अविभाजित रही है, उसमें उज्रदारान का भी जन्म से ही हित निहित है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता उज्रदारान की ओर से न्यायिक दृष्टान्त **2018(4) RLW 3403 (SC), Shyam Narayan Prasad Vs. Krishna Prasad & Ors., Civil Appeal No. 5415 of 2011 decided on 02-07-2018** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "Hindu Succession Act, 1956 Sec. 6, 8 - Devolution of Co- parcenary property- Property is ancestral property falling to share of defendant on partition retains character of coparcenary property- Suit for declaration that settlement deed executed between defendants exchanging property is invalid ?- Maintainability of suit- Held- Since the property is ancestral and plaintiff's being his sons and grandsons have right in said property- Suit filed by plaintiff's maintainable."

इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त **2014(3) Civil Court Cases 758 (P&H), Suresh & Anr. Vs. Fateh Singh & Ors., Regular Second Appeal No. 3561 of 1986 (O&M) and Cross Objection No. 9-c of 1987 decided on 05-12-2013** में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "Hindu Law- Coparcenary property- Right of a sole surviving coparcener will immediately by curtailed on date of birth of a male and property held by him will immediately become liable for fluctuation and treated as a coparcenary of father along with his son."

उपरोक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार यह दर्शित होता है कि किसी हिन्दू परिवार में जन्मे व्यक्ति को पैतृक सम्पति में जन्म से ही हित व अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि उज्रदारान द्वारा विवादग्रस्त सम्पति के संबंध में पैतृक व अविभाजित होना बताते हुए उक्त सम्पति में हित निहित होने के आधार पर पृथक से दीवानी दावा भी संस्थित किया हुआ है, जिसमें उभयपक्षकारान की साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य का निर्धारण होना है कि क्या वास्तविकता में हस्तगत प्रकरण के उज्रदारान को विवादग्रस्त सम्पति में हित व अधिकार प्राप्त है या अथवा नहीं है।

13. इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित सम्पति उज्रदारान व उनके पितागण की पैतृक सम्पति थी अथवा नहीं, उज्रदारान के पितागण द्वारा उक्त विवादित सम्पति कर्ता खानदान की हैसियत से वास्तविक आवश्यकता हेतु बेचान की गई है अथवा नहीं, उक्त विवादग्रस्त सम्पति उज्रदारान के पितागण अर्थात् घनश्याम व बजरंगलाल द्वारा गलत रूप से बेचान की गई अथवा नहीं, उक्त समस्त तथ्य विधि एवं साक्ष्य के तथ्य के मिश्रित प्रश्न होकर उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत ही तय किये जाने योग्य है। यद्यपि इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता उज्रदारान की ओर से सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त **2024(4) Civil Court Cases 684 (SC), Renjith K.G. & Ors. Vs. Sheeba, Civil Appeal No. 8315-8316 of 2014 decided on 14-10-2024** प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "Civil Procedure Code,

1908, Order 21 Rule 99- Execution- Objection by third party- Once an application U. O.21R.99 CPC is filed, it is incumbent upon trial court to consider all the rival claims including right, title and interest of parties U. O.21R.101 CPC which bars a separate suit by mandating execution Court to decide the dispute."

उपरोक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार निष्पादन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाली उज्रदारी प्रार्थना पत्र में ही न्यायालय को उज्रदारान द्वारा उठाए गए समस्त हित, अधिकार व स्वत्व के प्रश्नों का विनिश्चय किये जाने व इस संबंध में पृथक से दावा संस्थित किये जाने की आवश्यकता नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया है। लेकिन इस न्यायालय का विनम्र मत है कि यद्यपि उज्रदारान द्वारा अपने हित, अधिकार व स्वत्व के संबंध में हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष निष्पादन कार्यवाही के दौरान संस्थित की गई है, जिसमें उठाए गए तर्कों व प्रश्नों के संबंध में उज्रदारान द्वारा डिक्री दिनांकित 11.07.2019 की जानकारी उन्हें दिनांक 24.08.2019 को होना बताते हुए पूर्व में ही दिनांक 09.09.2019 को न्यायालय के समक्ष पृथक से दीवानी दावा संस्थित किया जा चुका है जो साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर इसी न्यायालय में लंबित है, जिसका निस्तारण भी निकट भविष्य में जल्दी ही होना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में जहां पक्षकारान द्वारा हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र में उठाए गए तर्कों व प्रश्नों के संबंध में पृथक से दीवानी दावा संस्थित किया हुआ है, जिसमें उज्रदारी प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों के संबंध में पृथक से विवाद्यक भी कायम किये हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र में उठाए गए तर्कों व प्रश्नों का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा अपेक्षित साक्ष्य संकलित कर इस स्तर पर किया जाता है तो उज्रदारान द्वारा पृथक से संस्थित किए गए दीवानी दावे में पारित होने वाले निष्कर्ष व निर्णय के परस्पर विरोधाभासी होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय का यह विनम्र मत है कि उज्रदारान द्वारा उठाए गए समस्त तर्क जो हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रकट किए गए हैं, उनका निस्तारण उज्रदारान की ओर से प्रस्तुत पृथक से दीवानी दावे के माध्यम से उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत ही तय किये जाने योग्य पाए जाते हैं। यद्यपि उज्रदारान द्वारा हस्तगत उज्रदारी प्रार्थना पत्र के माध्यम से विवादग्रस्त सम्पति में अपने जन्म से ही हित निहित होना दर्शित किया गया है, जिसके आधार पर यह न्यायोचित पाया जाता है कि यदि हस्तगत प्रकरण की निष्पादन कार्यवाही को निरन्तर रखा जाता है तो ना केवल उज्रदारान द्वारा प्रस्तुत किए गए पृथक दीवानी दावे की विधिक कार्यवाही निष्फल होगी अपितु पक्षकारान के मध्य कानूनी पेचिदिकियां व वाद कारण की बढोतरी होना संभाव्य है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त सम्पति के संबंध में डिक्री दिनांकित 11.07.2019 की निष्पादन कार्यवाही को उज्रदारान द्वारा प्रस्तुत दीवानी दावा संख्या 09/2019 बअनुवानी आशा देवी वगैरा बनाम महेश चंद वगैरा के निस्तारण तक स्थगित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के उपरांत उज्रदारान की ओर से प्रस्तुत हस्तगत

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

उज्रदारी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

15. फलतः उज्रदारान/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उज्रदारी प्रार्थना पत्र विरूद्ध डिक्रीदार महेश चंद के स्वीकार की जाकर डिक्री दिनांकित 11.07.2019 की निष्पादन कार्यवाही को पृथक से संस्थित दीवानी दावा संख्या 09/2019 बअनुवानी आशा देवी वगैरा बनाम महेश चंद वगैरा के निस्तारण के अधीन स्थगित किया जाता है। साथ ही डिक्रीदार को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि जैसे ही उपरोक्त उल्लेखित दीवानी दावा संख्या 09/2019 बअनुवानी आशा देवी वगैरा बनाम महेश चंद वगैरा का निस्तारण होता है तो डिक्रीदार विधि अनुसार पुनः हस्तगत निष्पादन कार्यवाही को निरन्तर कराए जाने हेतु पुनः नंबर पर लिए जाने का अधिकारी होगा।

16. मूल निष्पादन पत्रावली अस्थायी तौर पर ताफैसला दीवानी दावा संख्या 09/2019 बअनुवानी आशा देवी वगैरा बनाम महेश चंद वगैरा के अधीन फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

मूल निष्पादन पत्रावली पर लाल स्याही का नोट अंकित किया जावे कि उक्त निष्पादन कार्यवाही दीवानी दावा संख्या 09/2019 बअनुवानी आशा देवी वगैरा बनाम महेश चंद वगैरा के निर्णय के अधीन फैसल की गई है, जिसका कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ
जिला—अलवर (राज.)

17. आदेश आज दिनांक 18.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)
अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ
जिला—अलवर (राज.)